प्रेस नोट दिनांक 12.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र एवं अशोभनीय टिप्पणी करने के प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रविशंकर निषाद गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:

वादी निवासी ग्राम भीखमपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना आसपुर देवसरा पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रविशंकर निषाद पुत्र स्व0 जगन्नाथ निषाद एवं अमित यादव पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निवासीगण ग्राम धरौली, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। उक्त वीडियो को लेकर आमजन में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होने तथा रविशंकर निषाद द्वारा आवेदक को धमकी दिए जाने के संबंध में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 219/2026 धारा 352, 351(3), 353(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.08.2026 को अभियुक्त रविशंकर निषाद पुत्र स्व0 जगन्नाथ निषाद, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम धरौली, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, परन्तु उसके उत्तेजित होने एवं मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- रविशंकर निषाद पुत्र स्व0 जगन्नाथ निषाद, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम धरौली, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 हरीन्द नारायण राय मय हमराह का० अरविन्द यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

आमजन से अपील:

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति, संवैधानिक पदाधिकारी अथवा किसी समुदाय के विरुद्ध अभद्र, अशोभनीय, आपत्तिजनक अथवा भ्रामक सामग्री पोस्ट/शेयर/फॉरवर्ड न करें। किसी वायरल वीडियो अथवा पोस्ट की सत्यता की पुष्टि किए बिना उसे प्रसारित न करें। सोशल मीडिया पर शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा संबंधित थाना को दें। भ्रामक/आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस शांति, कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

<u>थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ</u>

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 अभिषेक कुमार व रि०का० सुनील विश्वकर्मा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत NBW मु0अ0सं0 342/2013 धारा-379/411 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 1. मो0 अकरम पुत्र मुस्तफा उम्र करीब 39 वर्ष पाइक रोड बेगम वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ 2. मो0 सहजाद पुत्र मुस्तफा उम्र करीब 32 वर्ष निवासीगण पाइक रोड बेगम वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 अकरम पुत्र मुस्तफा उम्र करीब 39 वर्ष पाइक रोड बेगम वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ
2. मो0 सहजाद पुत्र मुस्तफा उम्र करीब 32 वर्ष निवासीगण पाइक रोड बेगम वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 अभिषेक कुमार व रि०का० सुनील विश्वकर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

<u>थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़</u>

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध गैस रिफलिंग एवं कालाबाजारी का भंडाफोड़, 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अवैध गतिविधियों एवं आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.08.2026 को ग्राम सकरौली (भाटन का पुरवा) में मुखबिर की सूचना पर नायब तहसीलदार सदर/मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छापेमारी की गई।*

छापेमारी के दौरान दो मैजिक वाहनों में भरे घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक मकान के परिसर में अन्य गैस सिलेण्डर रखे मिले। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस निकालकर अन्य सिलेण्डरों में रिफलिंग किए जाने के उपकरण, तौल मशीन एवं अन्य सामग्री बरामद हुई। प्रकरण में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़

के अनुमोदन के उपरान्त थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 227/2026 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. भोला पाल पुत्र स्व0 सीताराम पाल निवासी प्रतापगढ़ सिटी (नरवा), थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
2. सुशील कुमार सरोज पुत्र श्रवण कुमार सरोज निवासी टेउंगा, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
3. पिंटू पटेल पुत्र बदी प्रसाद पटेल निवासी भुवालपुर किला (भुसरौली), थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
4. विवेक पटेल पुत्र स्व0 रामराज पटेल निवासी भुवालपुर किला (भुसरौली), थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
5. सतीश मिश्रा पुत्र रामकृष्ण मिश्रा निवासी सकरौली (भाटन का पुरवा), थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2026 को प्रातः करीब 06:56 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम सकरौली में सतीश मिश्रा के घर पर नायब तहसीलदार सदर/मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छापेमारी की गई। मौके पर वाहन संख्या UP 72 T 3321 में 41 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर तथा वाहन संख्या UP 72 AT 7024 में 39 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर, इसके अतिरिक्त 12 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 भरा हुआ कम्पोजिट सिलेण्डर बरामद हुआ।

मौके पर गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 05 रिफलिंग यंत्र (बांसुरी), 11 सील लगे कैप एवं 05 इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन भी बरामद हुई। तौल के दौरान कुछ घरेलू गैस सिलेण्डरों में निर्धारित मानक मात्रा 14.2 किग्रा0 से विचलन पाया गया।

पूछताछ में सामने आया तरीका-ए-वारदात:

पूछताछ में प्रकाश में आया कि गैस डिलीवरी वाहनों के चालक घरेलू गैस सिलेण्डरों में से गैस निकालकर अन्य सिलेण्डरों में रिफलिंग करते थे तथा तैयार सिलेण्डरों को खुले बाजार में अवैध रूप से बिक्री किए जाने की बात सामने आई। इस प्रकार उपभोक्ताओं को वितरण हेतु प्राप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर गैस की अवैध रिफलिंग एवं कालाबाजारी की जा रही थी।

बरामदगी का विवरण-

80 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर

03 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेण्डर

01 भरा हुआ कम्पोजिट गैस सिलेण्डर

12 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर
05 गैस रिफलिंग यंत्र (बांसुरी)
11 सील लगे कैप
05 इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन
02 मैजिक वाहन – UP 72 T 3321 एवं UP 72 AT 7024

बरामद गैस सिलेण्डरों को नियमानुसार मेसर्स शिवम् गैस सर्विस के प्रबन्धक की अभिरक्षा में तथा दोनों वाहनों को थाना कोतवाली देहात की सुपुर्दगी में दिया गया है। रिफलिंग उपकरण, सील लगे कैप एवं इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों को सीलबंद कर मालखाने में दाखिल कराया गया है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 227/2026 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

आमजन से अपील-
प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफलिंग, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री जैसी गतिविधियों की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें। घरेलू गैस सिलेण्डरों के साथ किसी भी प्रकार की अवैध छेड़छाड़ अत्यंत खतरनाक है, जिससे आगजनी एवं विस्फोट जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

थाना कोहंडौर, प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह का0 अजय गौड़ द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 3070/23 अ0सं0 8/16 धारा 144/323 थाना कोहडौर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त कार्तिकेय मिश्रा पुत्र रामचन्द्र मिश्रा नि० सियरावासी थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- कार्तिकेय मिश्रा पुत्र रामचन्द्र मिश्रा नि० सियरावासी थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।

पुलिस टीम- म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह का0 अजय गौड़ थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह के 01 अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंहको किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 09 बैंक पासबुक, 04 चेकबुक, आधार कार्ड एवं 03 QR कोड बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा थाना कुण्डा पर पंजीकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न बैंक खातों से संबंधित 09 पासबुक, 04 चेकबुक, 01 आधार कार्ड एवं 03 QR कोड बरामद किए गए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 07.08.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर तिलौरी मोड़, शिवपुरम कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित गतिविधियों की जांच के दौरान अभियुक्त सौरभ सिंह को विभिन्न व्यक्तियों के नाम की पासबुक एवं चेकबुक के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा शैलेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर New LOTUS Gaming की ऑनलाइन सट्टेबाजी ब्रांच संचालित करने तथा विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टेबाजी की धनराशि का लेन-देन किए जाने की जानकारी दी गई।

प्रकरण में सट्टेबाजी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर छिपाने/शोधन का प्रयास किए जाने तथा अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

उक्त प्रकरण में थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 307/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2), 3(5) बीएनएस, धारा 66D आईटी एक्ट एवं धारा 9(1), 9(2) Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के अंतर्गत 05 नामजद एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-
उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 11.08.2026 को निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 दुर्गेश सिंह, का0 मन्दीप सिंह एवं रि0का0 संदीप यादव द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं रात्रि गश्त के दौरान बाबूगंज के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियोग से संबंधित मुख्य अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र मोहनलाल सिंह, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, पोस्ट बरों, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, जो पुलिस से बचकर कहीं जाने की फिराक में है, दुखिया चौराहे पर खड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को समय करीब 00:25 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र मोहनलाल सिंह, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, पोस्ट बरों, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण- अभियुक्त के कब्जे में मौजूद काले रंग के बैग की तलाशी लेने पर—09 अदद बैंक पासबुक, 04 अदद चेकबुक, 01 अदद आधार कार्ड, 03 अदद QR कोड बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी के माध्यम से लोगों को प्रलोभन देकर उनके बैंक खाते खुलवाए जाते थे तथा खातों में गिरोह के मोबाइल नम्बर लगवाकर उनकी पासबुक एवं चेकबुक अपने कब्जे में रखी जाती थीं। इन बैंक खातों का प्रयोग ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग से प्राप्त धनराशि के लेन-देन एवं धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को निकालने के लिए किया जाता था। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी के माध्यम से ठगी के जाल में फंसाने तथा पुलिस से बचने के लिए फरार होने का प्रयास किए जाने की जानकारी भी दी गई।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त से हुई बरामदगी-
दिनांक 08.08.2026 को गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र अरविंद कुमार सिंह, निवासी तिलक का पुरा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष के कब्जे से ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रयुक्त08 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 15 विभिन्न बैंकों की पासबुक, 09 चेकबुक, 07 एटीएम कार्ड, 01 आधार कार्ड, 04 अटैण्डेंट कार्ड, विभिन्न प्रकार के QR कोड/QR सामग्री, 02 Google-Pay मशीन, 06 एटीएम स्लिप, 05 रजिस्टर/डायरी बरामद की गई थी।

प्रकरण में प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 दुर्गेश सिंह, का0 मन्दीप सिंह, रि0का0 संदीप यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

आमजन से अपील-
प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी, अवैध ऑनलाइन गेमिंग एवं शीघ्र धन कमाने का प्रलोभन देने वाले किसी भी ऐप/वेबसाइट के झांसे में न आएं। किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, OTP, PIN अथवा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी उपलब्ध न कराएं। अपने बैंक खाते का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने की अनुमति न दें। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

प्रतापगढ़ पुलिस अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त संदीप यादव गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कंधई श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कंधई की म0उ0नि0 शालिनी देवी मय हमराह म0का0 तनुजा शर्मा, रि0म0का0 आकांक्षा मौर्या, हे0का0 अनूप मिश्रा व का0 लोकेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69 बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप यादव पुत्र कन्हैयालाल निवासी ग्राम कंधई मधुपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत कंधई मधुपुर में काली माई मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
संदीप यादव पुत्र कन्हैयालाल, निवासी ग्राम कंधई मधुपुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
म0उ0नि0 शालिनी देवी मय हमराह उ0नि0 राजकुमार मिश्र, म0का0 तनुजा शर्मा, रि0म0का0 आकांक्षा मौर्या, हे0का0 अनूप मिश्रा व का0 लोकेश कुमार, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर के उ0नि0 आशु कुमार मय हमराह कांस्टेबल जगदीश द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डी0) कक्ष सं0-22 प्रतापगढ प्रदीप बनाम धीरेन्द्र मु0अ0सं0 936/118 धारा 138 Ni ACT थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त, धीरेन्द्र श्रीवास्तव उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र मातादीन निवासी ग्राम कोठीयाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिलीपपुर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- धीरेन्द्र श्रीवास्तव उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र मातादीन निवासी ग्राम कोठीयाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम - उ0नि0 आशु कुमार मय हमराह कांस्टेबल जगदीश थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।